

दिनांक

शिकायत

6.1.17

(2) 14.1.17

ककुलाम उपस्थित / वादी एवं प्रतिवादी वकील ने कथन किया कि इस मुकदमे की शाराजीपात से संबंधित मुकदमा माननीय सभ्य संजय राजस्थान उच्च न्यायालय मुंबई जयपुर में चल रहा है इस मामले में सभ्य कार्यवाही माननीय राज० उच्च न्यायालय के निर्णयों की शक्त: इस मुकदमा में शरण की कार्यवाही स्थगित की जाती है। माननीय उच्च-प्रभालय मुंबई जयपुर से निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर पेश हो।

19.8.20

वादी वकील के कथन पर पत्रावली तलाब की गई। वादी वकील ने दावा शरण नहीं चले का कथन कर ओदेशिका पर हस्ताक्षर किए। अतः वादी वकील के कथन पर पर दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार एक नम्बर से कम लेकर दाखिल दफतर हो।



(सुलेमानी उर्फ करीमन वामा अलीक बेग)  
अधिकारी टोडा  
जिला-करोली